भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

NOTARIAL NOTARIAL

HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

प्रारूप–3

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GH 508894

सत्र 2023–24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ–पत्र का प्रारूप

हम तारा सिंह (नाम अध्यक्ष)त्रिभुवन नारायण सिंह एवं प्रभुनारायण सिंह (नाम सचिव) राणा यशवन्त सिंह क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव तारा सिंह/राणा यशवन्त सिंह (सोसाइटी/ट्रस्ट का नाम एवं पता)ग्राम व पोस्ट–उमापुर तहसील–सदर जनपद–मऊ शपथपूर्वक निम्नवत बयान करती/करते है।

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा महन्त दिग्विजयनाथ शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति उमापुर मऊ (संस्था का नाम व पता) में बिन्दु कालेज ऑफ फार्मेसी उमापुर मऊ नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान के स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम महन्त दिग्विजयनाथ शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति उमापुर मऊ (पता जहां पर भूमि स्थित है) मे गाटा संख्या 405,402,516ग 517,518 एवं 0.100,0.705,0.0105,0.020,0.019 रकबा क्रमशः 0.8545 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.8545 कुल हेक्टेयर) भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय मे नही चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 405,402,516ग 517,518 एवं 0.100,0.705,0.0105,0.020,0.019 रकबा क्रमशः0.8545 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.8545 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 01/04/2023 ....द्वारा पारित किया गया है।

तारा सिंह

5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनो का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एंव उस पर निर्मित एंव निर्धारित भवनो को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि इस भूमि एंव इस पर निर्मित भवनो पर फार्मेसी पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमो के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8. यह कि, इस संस्था मे फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एंव प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध से पाठ्यक्रम एंव प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठयक्रम मे प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनो मे फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली से अनुमोदित एंव प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एंव पाठ्यक्रमो के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व मे कभी किया गया है, और न ही भविष्य मे कभी किया जायेगा।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एंव कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली एंव प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानको के अनुसार सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एंव अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ से पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलिभांति पालन करूंगा। यदि मेरे संस्थान मे किसी भी समय स्थलिय निरीक्षण मे मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एंव सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एंव मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नही की जायेगी।

13. मैं घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी मे पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एंव अभिलेख/दस्तावेज फर्जी,कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते है तो मेरे विरूद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वंय उत्तरदायी होऊंगा।

ह0 सचिव

ह0अध्यक्ष

NOTARY
GOVT. OF UTTAR PRADESH